न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

———————

:– दो अपीलें:–

———————

पहली अपील:–

———————

अपील संख्या :– 46/2018 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. कलावती देवी उर्फ लाली पुत्री रामप्रसाद जाति अहीर पत्नि राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सक्तपुरा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल आबाद ग्राम पुनसिका तहसील व जिला रेवाडी (इरियाणा) ———————— (मृतक)

वादी/अपीलांट्स

बनाम

1 रामचन्द्र पुत्र बिहारी लाल जाति अहीर निवासी सक्तपुरा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

2 लालाराम पुत्र बिहारी लाल जाति अहीर निवासी ग्राम सक्तपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

3 तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

4 उप पंजीयक, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:——— प्रतिवादीगण/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, मुण्डावर दिनांक 12.4.2018

———————————————————

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट्स :– श्री जनार्दन शर्मा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2. वकील रेस्पो0 :– श्री गोविन्द राम यादव

दूसरी अपीलः–

अपील संख्या :– 55/2018 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. कलावती पुत्री रामप्रसाद पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम सक्तपुरा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी पुनसिका तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा

:———— (फौत)

वादी/अपीलांट्स

वनाम

1 रामचन्द्र
2 लालाराम पुत्रान बिहारी लाल जाति अहीर निवासीयान ग्राम सक्तपुरा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
3 विक्रम सिंह
4 प्रवीण कुमार पुत्रान लालाराम जातियान अहीरान निवासीयान ग्राम सक्तपुरा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर
5 राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, मुण्डावर
6 उप पंजीयक, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:———— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, मुण्डावर दिनांक 12.4.2018

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट्स :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :– श्री गोविन्द राम यादव

निर्णय दिनांक :– 23.11.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 उपरोक्त दोनों अपीलों में पक्षकार, विवादित आराजी एवं तथ्य एक समान है तथा एक ही अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ पेश की गई है । इसलिये उपरोक्त दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है ।

2 उपरोक्त दोनों अपीलें तहत अदालत द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2009 बाबत इस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी तथा राजस्व वाद संख्या 203/2013 बाबत इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई दवामी में पारित निर्णय दिनांक 12.4.2018, जिसके द्वारा वादीनी कलावती का उक्त दोनों वाद पत्र खारिज किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

3 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी कलावती देवी ने तहत अदालत उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, मुण्डावर के यहां दो राजस्व वाद पत्र संख्या 43/2009 पेश कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 468/1.16, 661/0.14 गैर मुमकिन चाह, 662/0.14 हेक्टेयर वाके ग्राम बावद में वादीनी का 1/36 भाग, खसरा नम्बर 429/0.21, 454/0.25, 559/1.63, 592/0.67, 593/0.80, 598/0.83, 602/0.21, 627/0.89, 629/0.35, 658/0.25, 660/0.21, 674/0.19 वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर में वादीनी का 1/3 भाग है । वादीनी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से है । इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात में वादीनी का 1/3 भाग वतौर काबिज काश्तकार खातेदार है । पक्षकारान शामलात में काबिज है । उपरोक्त आराजीयात पैत्रिक है । वादीनी के पिता रामप्रसाद का देहान्त दिनांक 12.12.1992 को हो गया था । वादीनी अपने ससुराल में रहती है और समय समय पर अपने पैत्रिक गांव आकर अपनी आराजी की देखभाल करती थी और आराजी को बटाई पर प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 को देती थी, परन्तु प्रतिवादीगण ने साजबाज होकर वादीनी के पिता के देहान्त के बाद इन्तकाल नम्बर 688 दिनांक 14.6.1992 को अपने हक में स्वीकृत कराकर वादीनी के हिस्से की आराजी को अपने नाम करवा लिया । उक्त इंतकाल में वादीनी के पिता को लावल्द फौत दिखा दिया गया था । उक्त इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कोई जांच नहीं की गई थी । उक्त इंतकाल वादीनी के पिता रामप्रसाद के भाई बिहारी के लडकों के नाम स्वीकार किया गया था । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भतीजे प्रथम वारिसों की श्रेणी में नहीं आते हैं । रामप्रसाद लावल्द फौत नहीं हुआ था, वादीनी उसकी जायज वारिस है और रामप्रसाद की हिस्से की आराजी की हकदार है । अतः निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलव

किये जावें । तहत अदालत ने उक्त दोनों वाद पत्र पेश होने पर दोनों को कन्सोलिडेट किया था और निर्णय दिनांक 12.4.2018 द्वारा उक्त दोनों वाद पत्र खारिज किये थे, जिससे व्यथित होकर वादीनी ने यह अपील पेश की है ।

4 इसी प्रकार वाद पत्र संख्या 203/2013 में वादिया कलावती देवी ने निवेदन किया था कि प्रश्नगत भूमि हाल खसरा नम्बर 468, 661, 662, 559, 592, 593, 598, 603, 627, 629, 638, 660, 674, 429, 434 वाके ग्राम वावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर में विहारी लाल, रामप्रसाद व हजारी लाल का 1/3, 1/3, 1/3 भाग है । हजारी लाल लावल्द फौत हो गया था और वादीया रामप्रसाद की जायज पुत्री है । इसलिये हजारी लाल के उक्त 1/3 भाग में से 1/2 भाग वादीया के नाम दर्ज होना चाहिये था, परन्तु प्रतिवादी लालाराम ने अपने पुत्रों प्रतिवादीगण 3 व 4 के नाम हजारी लाल की एक फर्जी वसीयत करा दी और उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर हजारी लाल के 1/3 भाग की आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 का नाम दर्ज करा दिया ।

5 बहस में विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपने वाद पत्रों के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि तहत अदालत में गवाहों ने अपने बयानों में वादीनी कलावती को रामप्रसाद की पुत्री होना स्वीकार किया है । पटवारी हल्का मानका की रिपोर्ट दिनांक 30.6.2015 में भी कलावती देवी को रामप्रसाद की पुत्री होना बताया गया है । नगरपालिका मौहल्ला में स्थित गढमुक्तेश्वर के पण्डा महेन्द्र कुमार पुत्र भगवत प्रसाद शर्मा ने भी अपने शपथ पत्र में अपीलांट वादीनी कलावती को रामप्रसाद की पुत्री होना बताया है । उक्त पण्डा के पास वादीनी के खानदान की वंशावली है,जिसमें रामप्रसाद की जायज वारिस एक मात्र पुत्री कलावती के नाम का अंकन है । परन्तु वादीनी के पिता रामप्रसाद के भाई बिहारी लाल के पुत्रो रेस्पो0 नम्बर 01 व 02 अर्थात रामप्रसाद के भतीजों ने रामप्रसाद को लावल्द फौत बताकर वसीयत का इंतकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया,जबकि उक्त वसीयत दिनांक 22.4.66 को फर्जी तौर पर निष्पादित की गई थी । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भतीजे वारिसों की प्रथम श्रेणी में नहीं आते है । इंतकाल दर्ज करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई थी । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की फर्जकारी के खिलाफ वादीनी ने सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर के यहां इस्तगासा अन्तर्गत धारा 420, 467, 468 पेश किया था, जिसमें रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलव

संख्या 1 व 2 के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जा चुका था । इसके खिलाफ रेस्पो0 संख्या 01 व 02 ने अपर सैशन न्यायाधीश संख्या 02, किशनगढवास के यहां रिवीजन दायर की थी, जो खारिज हो चुकी है । तहत अदालत में हमारे द्वारा पेश दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों पर कतई ध्यान नहीं दिया, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से हमारा वाद पत्र बखूबी सावित है । हमने तहत अदालत में दो दावे अलग अलग पेश किये, जिनका निर्णय भी अलग अलग होना चाहिये था । तहत अदालत ने उक्त दोनों दावों को गलत तौर पर कन्सोलिडेट किया है । तहत अदालत के निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।,

6 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि वादीनी रामप्रसाद की जायज पुत्री नहीं है, बल्कि गैल्लड पुत्री है । वह श्रवण देवी की पुत्री थी, जिसका भी देहान्त हो चुका है । रामप्रसाद लावल्द फौत हुआ था । हम रामप्रसाद के भाई बिहारी के पुत्र हैं । इसलिये विरासत का इन्तकाल हमारे नाम सही तौर पर स्वीकृत हुआ है । अगर वादीनी कलावती देवी को उक्त इंतकाल से कोई ऐतराज था तो उक्त इंतकाल अपील करनी चाहिये थी । हमारे खिलाफ दायर की गई एफ0 आई0 आर0 में एफ0 आर0 लग चुकी है, जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने माना है कि दिनांक 14.6.1992 को ग्राम समस्या समाधान शिविर, माणका में विवादित आराजी का इंतकाल रामचन्द्र व लालाराम पुत्रान बिहारी के नाम परिवादिया की मौखिक सहमति से चढाया गया था तथा यह माने जाने का आधार एक सहमति पत्र दिनांक 26.9.1992 है । अनुसंधान अधिकारी ने मामले की प्रकृति को देखते हुये सिविल नेचर का बताया है । मेरा यहां निवेदन है कि वादीनी कलावती द्वारा हमारे पक्ष में दिये गये सहमति पत्र के आधार पर ही विवादित भूमि का इंतकाल हमारे नाम स्वीकृत हुआ है और एफ0 आर0 भी उक्त सहमति पत्र के आधार पर ही लगी है । इस प्रकार अब वादीनी को हमारे खिलाफ वाद पत्र पेश करने का कोई आधार नहीं है । अगर वादीनी को किसी प्रकार की आपत्ति थी तो सिविल न्यायालय में चाराजोही करती । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

7 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । दौराने विचारण अपील कलावती देवी अपीलांट का देहान्त हो गया था, जिसके वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु अदालत हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी0 पी0 सी0 पेश हुआ था, जो अदालत हाजा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

के आदेश दिनांक 6.4.2021 द्वारा स्वीकार किया जाकर अपीलांट कलावती देवी के वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया था ।

8 प्रकरण के गुणावगण पर गौर किया । अपीलांट्स का मुख्य कथन यही है कि विवादित आराजी रामप्रसाद की थी । वादीनी कलावती देवी रामप्रसाद की एक मात्र जायज वारिस पुत्री थी, जिसका दौराने विचारण अपील देहान्त हो चुका है । रामप्रसाद के देहान्त के बाद रामप्रसाद के हिस्से की भूमि वादीनी के नाम दर्ज होनी चाहिये थी, परन्तु रेस्पो0 नम्बर 01 व 2 ने रामप्रसाद को लावल्द फौत बताकर तथा फर्जी वसीयत के आधार पर रामप्रसाद की आराजी अपने नाम करा ली । अपीलांट्स द्वारा दिये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में हमने तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । पटवारी हल्का मानका तहसील मुण्डावर ने ग्रामवासियों से जानकारी कर बताया है कि कलावती उर्फ लाली रामप्रसाद की अकेली पुत्री है । गवाह श्यामलाल पुत्र गणपत ने अपने बयानों में बताया है कि रामप्रसाद के एक मात्र वारिस लडकी कलावती वादिया है, परन्तु रामचन्द्र व लालाराम पुत्रान बिहारी लाल ने गलत तरीके से रामप्रसाद की विरासत अपने नाम करा ली । गवाहों चन्द्रभान पुत्र देशराज ,राजेन्द्र सिंह पुत्र रामनारायण ने भी अपने बयानों में रामप्रसाद की एक मात्र पुत्री कलावती देवी को तथा गलत तरीके से रामप्रसाद की विरासत रामचन्द्र व लालाराम पुत्रान बिहारी लाल द्वारा अपने नाम दर्ज कराने बाबत बयान दिये हैं । कलावती देवी ने श्रीमान जिला कलेक्टर, अलवर को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि प्रार्थिया कलावती देवी रामप्रसाद की एक मात्र पुत्री वारिस है, परन्तु सचिव व सरपंच, ग्राम पंचायत सकतपुरा बावद तहसील मुण्डावर वारिस प्रमाण नहीं बना रहे हैं, अतः प्रकरण की जांच करवा कर वारिस प्रमाण पत्र बनवाने की कृपा करें । उक्त प्रार्थना पत्र पर श्रीमान जिला कलेक्टर, अलवर ने विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मुण्डावर को आदेश दिये कि तथ्यों की जांच कर प्रकरण का निस्तारण 3 दिवस में करें । सरपंच, ग्राम पंचायत, बावद पंचायत समिति, मुण्डावर ने वारिस प्रमाण पत्र कमांम /एस0पी0 01 दिनांक 25.4.2012 में कलावती देवी को रामप्रसाद की एक मात्र पुत्री वारिस बताया है । पुलिस थाना, मुण्डावर में कलावती देवी ने प्रतिवादीगण रामचन्द्र व लालाराम के खिलाफ भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहितां की धारा 420, 467, 468 के तहत एफ0 आई0 आर0 इस आशय की दर्ज कराई थी कि वह रामप्रसाद की एक मात्र पुत्री जायज वारिस है, परन्तु रामचन्द्र व लालाराम पुत्रान बिहारी ने धोखाधडी करके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

रामप्रसाद को लावल्द फौत बताकर उसकी विरासत अपने नाम दर्ज करा ली । उक्त एफ0 आई0 आर0 में पुलिस थाना, मुण्डावर द्वारा एफ0 आर0 लगाई गई है । माननीय सिविल न्यायाधीश (क0 ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर जिला अलवर ने अंतिम प्रतिवेद संख्या 27/44/12 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468 भारतीय दण्ड संहिंता में पारित निर्णय दिनांक 23.8.2013 में पुलिस थाना, मुण्डावर द्वारा लगाई गई उक्त एफ0 आर0 से अपनी असहमति जताई है तथा अभियुक्तगण रामचन्द्र व लालाराम के खिलाफ प्रसंज्ञान लिये जाने के आदेश दिये थे ।

9 तहत पत्रावली में संलग्न इंतकाल नम्बर 688 दिनांक 14.6.1992 का अवलोकन किया । उक्त इंतकाल द्वारा रामप्रसाद की 1/3 हिस्से की विरासत रामचन्द्र व लालाराम ने रामप्रसाद को लावल्द फौत बताकर अपने नाम दर्ज कराई है । जमाबन्दी सम्वत 2043 में बिहारी, रामप्रसाद व हजारी पुत्रान जोखीराम को समभाग में खातेदार दर्ज किया हुआ है ।

10 उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में तथा तहत पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से यह सिद्ध है कि प्रश्नगत भूमि रामप्रसाद, बिहारी व हजारी की समान भाग की खातेदारी की थी अर्थात तीनों का 1/3, 1/3, 1/3 भाग था तथा वादीनी कलावती देवी रामप्रसाद की एक मात्र पुत्री जायज वारिस थी । रामप्रसाद के हिस्से की भूमि उसकी जायज पुत्री कलावती देवी के नाम दर्ज होनी चाहिये थी, परन्तु प्रतिवादीगण रामचन्द्र व लाला राम पुत्रान बिहारी ने रामप्रसाद को लावल्द फौत बताकर उसकी विरासत गलत तौर पर अपने नाम दर्ज करा ली । प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य के लिये माननीय सिविल न्यायाधीश (क0 खं0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर जिला अलवर द्वारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 420, 467 व 468 के तहत प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रसंज्ञान लिये जाने के आदेश दिये थे । चूंकि वादीनी कलावती देवी रामप्रसाद की एक मात्र पुत्री जायज वारिस है, इसलिये वह रामप्रसाद के हिस्से की आराजी अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारीणी है ।

1 जहां तक हजारी लाल के 1/3 भाग की भूमि का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में अदालत हाजा का विनम्र मत है कि हजारी लावल्द फौत हुआ था । इसलिये उसके हिस्से की 1/3 भाग की आराजी उसके दोनों भाईयों बिहारी व रामप्रसाद में समान भाग अर्थात 1/2, 1/2 भाग में निहित हो गई । चूंकि रामप्रसाद फौत हो चुका है, इसलिये हजारी लाल के 1/3 भाग में से 1/2 भाग की आराजी वादीनी कलावती देवी में निहित हो गई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

। ऐसी स्थिति में हजारी लाल के 1/3 भाग में से 1/2 भाग पर वादीनी कलावती देवी खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारीणी है । चूंकि विवादित आराजी में वादीनी का रामप्रसाद की विरासत से 1/3 भाग तथा हजारी के हिस्से 1/3 भाग में से 1/2 भाग बनता है अर्थात विवादित आराजी में वादीया का कुल 1/2 भाग बनता है, जिस पर वह खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारीणी है । उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में दोनों अपीलें स्वीकार कर वादीया के दोनों वाद पत्र संख्या 43/2009 व 203/2013 डिकी किये जाने योग्य है ।

12 अतः आदेश है कि दोनों अपीलें स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा वाद पत्र संख्या 43/2009 व 203/2013 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 12.4.2018 निरस्त किये जाते हैं तथा वादीनी कलावती देवी के उक्त दोनों वाद पत्र इस प्रकार डिकी किये जाते हैं कि आराजी हाल खसरा नम्बर 468 रकबा 1.16 हेक्टेयर, 661 रकबा 14 एयर, 662 रकबा 14 एयर, 429 रकबा 21 एयर, 454 रकबा 25 एयर, 559 रकबा 1.63 हेक्टेयर, 592 रकबा 67 एयर, 593 रकबा 80 एयर, 598 रकबा 83 एयर, 603 रकबा 21 एयर, 627 रकबा 89 एयर, 629 रकबा 35 एयर, 658 रकबा 25 एयर, 660 रकबा 21 एयर व 674 रकबा 19 एयर वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर के 1/2 भाग पर वादीया कलावती देवी के वारिसान अपीलांट्स को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । उक्त 1/2 भाग पर से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर अपीलांट्स का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे । तदनुसार राजस्व रेकार्ड हाल में दुरूस्ती की जाकर अमल दरामद किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो अपीलांट्स के उक्त 1/2 हिस्से पर किसी प्रकार की मजाहमत मदाखल नहीं करें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिकी जारी हो । निर्णय की

13 प्रति हर दोनों अपीलों में संलग्न की जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजरव अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

:– दो अपीलें:–

पहली अपील:–

अपील संख्या :– 46/2018 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. कलावती देवी उर्फ लाली पुत्री रामप्रसाद जाति अहीर पत्नि राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सक्तपुरा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल आबाद ग्राम पुनसिका तहसील व जिला रेवाडी (हरियाणा) ———— (मृतक)

वादी/अपीलांट्स

बनाम

1 रामचन्द्र पुत्र बिहारी लाल जाति अहीर निवासी सक्तपुरा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

2 लालाराम पुत्र बिहारी लाल जाति अहीर निवासी ग्राम सक्तपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

3 तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

4 उप पंजीयक, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:———— प्रतिवादीगण/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, मुण्डावर दिनांक 12.4.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट्स :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :– श्री गोविन्द राम यादव

दूसरी अपील:–

अपील संख्या :– 55/2018 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. कलावती पुत्री रामप्रसाद पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम सक्तपुरा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी पुनसिका तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा

:———— (फौत)

वादी/अपीलांट्स

बनाम

1 रामचन्द्र
2 लालाराम पुत्रान बिहारी लाल जाति अहीर निवासीयान ग्राम सक्तपुरा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
3 विक्रम सिंह
4 प्रवीण कुमार पुत्रान लालाराम जातियान अहीरान निवासीयान ग्राम सक्तपुरा बावद तहसील भुण्डावर जिला अलवर
5 राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, मुण्डावर
6 उप पंजीयक, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:———— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, मुण्डावर दिनांक 12.4.2018

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट्स :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :– श्री गोविन्द राम यादव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

पर्चा डिकी दिनांक :- 23.11.2021

दोनों अपीलें स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा वाद पत्र संख्या 43/2009 व 203/2013 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 12.4.2018 निरस्त किये जाते हैं तथा वादीनी कलावती देवी के उक्त दोनों वाद पत्र इस प्रकार डिकी किये जाते हैं कि आराजी हाल खसरा नम्बर 468 रकबा 1.16 हेक्टेयर, 661 रकबा 14 एयर, 662 रकबा 14 एयर, 429 रकबा 21 एयर, 454 रकबा 25 एयर, 559 रकबा 1.63 हेक्टेयर, 592 रकबा 67 एयर, 593 रकबा 80 एयर, 598 रकबा 83 एयर, 603 रकबा 21 एयर, 627 रकबा 89 एयर, 629 रकबा 35 एयर, 658 रकबा 25 एयर, 660 रकबा 21 एयर व 674 रकबा 19 एयर वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर के 1/2 भाग पर वादीया कलावती देवी के वारिसान अपीलांट्स को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । उक्त 1/2 भाग पर से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर अपीलांट्स का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे । तदनुसार राजस्व रेकार्ड हाल में दुरूस्ती की जाकर अमल दरामद किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द से किया जाता है कि वो अपीलांट्स के उक्त 1/2 हिस्से पर किसी प्रकार की मजाहमत मदाखल नहीं करें ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर